



कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिविल कोर्ट, मेरठ परिसर में पुराने जीर्ण-शीर्ण पम्प हाउस, गैराज एवं दो कमरों को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 27.08.2024 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 10,000-00 रु0 नगद अथवा उक्त धनराशि का ड्राफ्ट भी जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उपरोक्त भवन को तोड़ने तथा उसका मलवा/स्क्रेप हटाने का कार्य अंदर 07 दिन में करना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती है।



(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य/अपर जिला जज
कक्ष सं0-09,
मेरठ।



(अचल नारायण सकलानी)
सदस्य/विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
, मेरठ।



(चन्द्र प्रकाश तिवारी प्रथम)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :

- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

नीलामी की शर्तें

दिनांक: 27.08.2024 को जनपद न्यायालय मेरठ में स्थित पुराने जीर्ण-शीर्ण पम्प हाउस, गैराज एवं दो कमरों को तोड़ने व तोड़ने के उपरान्त उसका समस्त मलवा/स्क्रेप हटवाकर ले जाने हेतु नियम खुली बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा।


1. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी।
2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा धरोहर धनराशि अंकन 10,000-00 रु0 धरोहर के रूप में कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद रूप में बोली से पूर्व समय दिन 11:00 बजे तक जमा करने होंगे अथवा उक्त धनराशि का ड्राफ्ट भी जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को जमा किया जा सकता है।
3. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।
4. बोली जहां है, जैसा है के आधार पर होगी अर्थात् बोली में पुराने भवनों का मलवा गेट इत्यादि ही सम्मिलित होंगे।
5. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे धरोहर राशि को छोड़कर बोली की 25प्रतिशत धनराशि का भुगतान बोली के पश्चात् यानि दिनांक 27.08.2024 को ही जमा कराना होगा तथा बकाया समस्त धनराशि स्वीकृत बोली के अनुमोदन के उपरान्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से अन्दर 03 दिवस जमा करानी होगी।
6. यदि सफल बोलीकर्ता उपरोक्त विहित अवधि के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके पक्ष में किया गया नीलाम निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा निक्षेपित अग्रिम धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
7. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/विश्वसनीय विधिक पहचान पत्र की छायाप्रति भी दाखिल करनी होगी।
8. प्रथम तीन बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य की धरोहर धनराशि उसी दिन बोली समाप्त करने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
9. उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान का साफ कराना होगा।
10. भवन की तोड़ाई केवल जमीन तक अर्थात् भवन में नींव को छोड़कर करनी होगी।
11. भवन को तोड़ने के दौरान बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस दौरान किसी अन्य सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचे। यदि किसी अन्य सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को करनी होगी।
12. उक्त भवन को तोड़ने एवं उसके मलवे को ले जाने पर जो भी व्यय होगा उसे बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को स्वयं वहन करना होगा। बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को मलवा ले जाने चुंगी व टैक्स और कोई देय जी0एस0टी0 आदि हो तो उसे स्वयं वहन करना होगा।
- 13- जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छुटेगी उसका केवल प्रश्रगत भवनों के मलवे को तोड़ने व ले जाने का अधिकार होगा परन्तु पम्प हाउस में लगे हुए पुराने पम्प को निकलवाकर केन्द्रीय नजारत में जमा करवाना होगा।
14. अधिकतम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी तथा जिसे किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- 15.

है।

शर्तों की प्रति ससम्मान माननीय महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित की जा रही


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)

सदस्य/अपर जिला जज
कक्ष सं0-09,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
सदस्य/विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
मेरठ।


(चन्द्र प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01, मेरठ।